# न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः- 40/अ-19(3)/2017-18/ 1025 बैतूल दिनांक 10/9/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, न्यायालय कलेक्टर बैतूल के राजस्व प्रकरण क्रमांकः- 71/अ-19(3)/2014-15/ में पारित आदेश दिनांक 14-9-2015 द्वारा, मौजा टिकारी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 421 रकबा 0.559 हेक्टेयर में से 60X80= 4800 वर्गमीटर भूमि, इनडोर स्टेडियम निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पक्ष में इस शर्त के अधीन आरक्षित की गई है कि, स्टेडियम निर्माण हेतु समयावधि में बजट आंवटन स्वीकृत किए जाने पर नियमानुसार भूमि आवंटन एवं हस्तांतरण की कार्यवाही की जाएगी।

2- जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांकः- 944/DSYW/2018 दिनांक 23-8-2018 द्वारा, अवगत कराया गया है कि, भूमि आवंटित नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त आरक्षित भूमि मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग बैतूल को आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3- जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार उक्त प्रश्नाधीन भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल से अभिमत प्राप्त किया गया। प्रतिवेदक अधिकारियो द्वारा विषयांकित के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार उक्त संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाइ गई हैः-

(1)- तहसीलदार बैतूल द्वारा उक्त संबंध में विधिवत् प्रकरण संस्थित किया गया एवं उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2) - हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त प्रश्नाधीन भूमि चरनोई मद में दर्ज है, तथा कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 14-9-2015 द्वारा, उक्त भूमि के कुल रकबे मे से 60X80= 4800 वर्गमीटर भूमि, इनडोर स्टेडियम निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पक्ष में आरक्षित की गई है। मौके पर उक्त भूमि रिक्त है।

(3)- राजस्व अभिलेख (वर्तमान खसरा) के अनुसार मौजा बैतूल नगरीय-1 तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 421 रकबा 0.559 हेक्टेयर भूमि शासकीय चरनोई मद में दर्ज है, तथा खसरे के कालम नंबर 12 (कैफियत) में दर्ज प्रविष्ठि के अनुसार न्यायालय कलेक्टर बैतूल के राजस्व प्रकरण क्रमांकः- 71/अ-19(3)/2014-15/ में पारित आदेश दिनांक 14-9-2015 द्वारा, इनडोर स्टेडियम निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पक्ष में आरक्षित की गई है।

(4)- मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांकः- सा.प्र./2018/4245 दिनांक 6-9-2018 द्वारा, मौजा टिकारी स्थित खसरा नंबर 421 रकबा 0.559 हेक्टेयर में से 60X80= 4800 वर्गमीटर भूमि इनडोर स्टेडियम निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिये जाने में निकाय को कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

(5)- तहसीलदार बैतूल /अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर मौजा टिकारी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 0.559 हेक्टेयर में से 60X80= 4800 वर्गमीटर भूमि इनडोर स्टेडियम निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग को आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

4- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात-नजूल/99 दिनांक 27-1-2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक -7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन

के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- 1/2011/अधी./8670 दिनांक 4-8-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के प्रकरणों को छोड़कर शेष धाराओ के प्रकरणो का एवं शासकीय विभागो को भूमि अंतरण के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

5- प्रकरण का समग्र अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि न्यायालय कलेक्टर बैतूल के आदेश दिनांक 14-9-2015 द्वारा, मौजा टिकारी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 421 रकबा 0.559 हेक्टेयर में से 60X80= 4800 वर्गमीटर भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पक्ष में आरक्षित की गई है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि विभाग को आवंटित नहीं होने के कारण, विभाग को इनडोर स्टेडियम के बिए बजट आवंटन उपलब्ध कराने में वैद्यानिक कठिनाई हो रही है।

प्रश्नाधीन खसरा नंबर यद्यपि राजस्व अभिलेखो में चरनोई मद में दर्ज है, परन्तु यह तथ्य भी निर्विवादित है कि, उक्त खसरा नंबर नगर पालिका की सीमा में स्थित है, तथा वर्तमान खसरा बैतूल नगरीय-1 हल्का के रूप में दर्ज है। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 क्रमांक-1 की कण्डिका-1 में नगर निगमो, नगरपालिका, नगरो तथा अधिसूचित क्षेत्रो की सीमाओ के भीतर नजूल भूमियो का प्रबंध और व्यवस्था के प्रावधान निर्धारित किए गए है, तथा नजूल भूमि और मिल्कियत सरकार को स्पष्ट किया गया है। उक्त खण्ड की कण्डिका(2) में प्रावधानित किया गया है कि '' मिल्कियत सरकार के रूप में अभिलिखित की जाने भूमियो में सबसे सामान्य प्रकार की भूमि होगी। इस भूमि में जो भूमि राजसात( राज्य सरकार के हित में अभिग्रहण) की जा चुकी हो और अस्थायी रूप से कृषि प्रयोजनो के लिए ऐसे भूखण्ड दिये जाए या निकुन्ज या बगीचे, खानियाँ, तालाब, शासकीय एवं स्थानीय निकायो की सड़के, नाले, नहरे, ऐसे भूखण्ड जिन पर वृक्ष लगे हो, कृषि फार्म, चारे के लिये रक्षित भूमियाँ तथा घाँस भूमियॉ मिल्कियत सरकार के रूप मे अभिलिखित की जाएगी।''

कण्डिका-(6) में नजूल और मिल्कियत सरकार भूमि के बारे में स्पष्ट किया गया है कि, इन दोनो वर्गो की भूमि पर शासन का स्वामित्व होता है ये दोनो वर्गो की भूमि शासन की सम्पत्ति होती है किन्तु इन दोनो वर्गो की भूमि होने की शर्त ये है कि ऐसी दोनो वर्गो की भूमियाँ किसी गाँव के खाते मे न हो एवं बंजर झाड़ीदार, जंगल, पहाड़ियों और चट्टानो, नदियों ग्राम वन या शासकीय वन न हो।

उपरोक्त प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में, तहसील बैतूल के हल्का बैतूल नगरीय-1 के मौजा टिकारी का प्रश्नाधीन खसरा नंबर 421 रकबा 0.559 हेक्टेयर भूमि, नगरपालिका परिषद बैतूल की सीमा अर्थात नगरीय सीमा में स्थित होने के कारण उक्त खसरा नंबर मिल्कियत सरकार की श्रेणी में आता है, जिसके फलस्वरूप इस खसरा नंबर पर चरनोई के 2 प्रतिशत रक्षित रकबे का प्रावधान प्रभावी नहीं होता है।

6- अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तथ्य, तथा तहसीलदार बैतूल व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के अभिमत/अनुशंसा के आधार पर तहसील बैतूल के हल्का बैतूल नगरीय- 1 के मौजा टिकारी स्थित खसरा नंबर 421 रकबा 0.559 हेक्टेयर में से इनडोर स्टेडियम निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पक्ष में आरक्षित की गई 60X80= 4800 वर्गमीटर भूमि,जिसे प्रकरण में संलग्न नक्शा (प्रदर्श-'अ') मे लाल स्याही से चिन्हित किया गया है, मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग (जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी बैतूल) को इनडोर स्टेडियम निर्माण प्रयोजनार्थ निम्लिखित शर्तो के अधीन के अधीन हस्तांतरित की जाती हैः-

(1)- हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:-40/अ-19(3)/2017-18/ 11029 बैतूल दिनांक 10/9/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
2- तहसीलदार बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
5- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.